निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 81 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के माह 06/2014 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अक्षय कुमार एवं श्री सुनील कुमार ,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, एवं श्री अंकित पांडे लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16/11/2018 से 20/11/2018 तक सम्पादित किया गया।

<u>भाग</u>-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अनिल कुमार शर्मा, सहायक लेखपरीक्षा अधिकारी एवं श्री पारस शर्मा लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 21/06/2014 से 26/06/2014 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2008 से 05/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2 (i) - इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः समस्त पिथौरागढ़ क्षेत्र के अंतरगत नियंत्रण एवं निगरानी के कार्य।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(`लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	-	-	89.20	89.20						
2015-16	-	-	110.86	110.86						
2016-17	-	-	104.97	104.97						
2017-18			97.94	97.94						
2018-19(10/2018)			146.98	88.83						

(ब) केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "C" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
3. मुख्य अभियंता
4. अधीक्षण अभियंता

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2016, 12/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. मुख्य अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में " शून्य " का निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह - तथा - तक की गई।

5. फार्म 51: माह तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

भाग प्रथम ` -

भाग द्वितीय ` -

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह **लागू नहीं** के अन्त में (धनराशि रु मे)

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	लागू नहीं
(ख)	सामग्री क्रय	
(ग)	नगद परिशोधन	
(घ)	निक्षेप	
(ङ)	भण्डार	

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 1:- विगत 4 वर्षो से निविदा बिक्री से संबन्धित प्राप्त धनराशि रु 1,19,805.00 राजस्व मे जमा न किया जाना।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के निविदा बिक्री करने से संबन्धित अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि निविदा बिक्री से संबन्धित निम्न विवरण के अनुसार प्राप्त धनराशि विगत 4 वर्षो से कार्यालय द्वारा राजस्व मे जमा नही की जा रही थी तथा न ही निविदा बिक्री सम्बन्धी पंजिका का सही तरह से रख रखाव किया जा रहा था। एक ही समयावधि मे कार्यालय मे दो निविदा पंजिका खोली गयी थी, जिसको किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नही कराया गया था तथा ठेकेदारो से नगद मे धनराशि प्राप्त करने पर कोई भी रसीद/ पावती जारी नही की जा रही थी । जिससे वित्तीय अनियमितता होने की पूर्णत: संभावना है।

(` मे)

क्र.स.	**वित्त वर्ष**	**निविदा बिक्री की गयी धनराशि**	**राजस्व मे जमा धनराशि**	**अवशेष धनराशि**
1	2014-15 (01.06.2014 से)	29,207	0.00	29,207
2	2015-16	25,036	0.00	25,036
3	2016-17	11,758	0.00	11,758
4	2017-18	13,094	0.00	13,094
5	2018-19 (10/2018 तक)	40,710	0.00	40,710
	Total	1,19,805.00	0.00	**रु 1,19,805.00**

लेखा परीक्षा द्वारा बिन्दु इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया कि कार्यालय द्वारा संबन्धित धनराशि दिनांक: 30.11.2018 को राजस्व मे जमा करा दी गयी है, जो लेखापरीक्षा तिथि तक राजस्व मे जमा नही की गयी थी। यह भी अवगत कराया गया कि निविदा बिक्री सम्बन्धी अभिलेखो को सही कर लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा को उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त धनराशि राजस्व मे जमा नही की गयी थी, जिसको बाद मे दिनांक: 30.11.2018 को जमा दर्शाया गया है। जिसके कारण मूल अभिलेखो की जांच नही की जा सकी है। साथ ही राजस्व से संबन्धित धनराशि 4 वर्षो तक जमा न करना, एक ही समयावधि मे कार्यालय मे दो निविदा पंजिका खोली जाना तथा ठेकेदारो से नगद मे धनराशि प्राप्त करने पर कोई भी रसीद/ पावती जारी न करना वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 2:- विभागीय उदासीनता के कारण निविदा खोलने के बावजूद अनुबन्धो का गठन न किया जाना ।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के निविदा आमंत्रित करने से संबन्धित अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि निम्न कार्यो से संबन्धित निविदा ई-टेंडरिंग के माध्यम से आमंत्रित करने एवं L1 प्राप्त होने के बावजूद न तो लेखापरीक्षा तिथि तक अनुबन्ध गठित किए गए एवं न ही ठेकेदारो से कोई पत्राचार किया गया:-

क्र.स.	**कार्य का नाम**	**ई-टेंडरिंग आमंत्रण की तिथि**	**ई-टेंडरिंग निविदा खोलने की तिथि**	**निविदा खोलने के पश्चात समयवधि**	**अनुबन्ध गठन की तिथि**
1	जनपद पिथौरागढ़ मे विधानसभा क्षेत्र धारचूला मे रामगंगा नदी पर गोगिना से नामिक को जोड़ने हेतु 90 मी स्पान गर्डर सेतु का निर्माण कार्य	21.12.2016	21.06.2017	1 वर्ष 5 माह	अतिथि तक गठन नही किया गया है।
2	जनपद पिथौरागढ़ मे विधानसभा क्षेत्र धारचूला मे मुवानी दवानी दारमा मानीधामी गाव को जोड़ने हेतु 70 मी स्पान गर्डर सेतु का निर्माण कार्य	21.12.2016	22.6.2017	1 वर्ष 5 माह	अतिथि तक गठन नही किया गया है।
3	Construction of walls Scuppers and Extension up to Aliemal Mandir in Serasunali Haradhatiya constituency Didihat under State Sector	09.04.2018	27.06.2018	5 माह	अतिथि तक गठन नही किया गया है।
4	Remaining work of motor road from Kanalichhana Pipli motor road to Ambedekar village Leema Toda in Vidhan Sabha Didihat Distt Pithoragarh under SCSP km 0.00 to 2.00	01.06.2018	05.07.2018	4 माह	अतिथि तक गठन नही किया गया है।
5	Remaining work of motor road from Kanalichhana Pipli motor road to Ambedekar village Leema Toda in Vidhan Sabha Didihat Distt Pithoragarh under SCSP km 2.00 to 5.00	01.06.2018	05.07.2018	4 माह	अतिथि तक गठन नही किया गया है।

- ***अतिथि तक (लेखापरीक्षा तिथि दिनांक: 20.11.2018 तक)***

लेखा परीक्षा द्वारा बिन्दु इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निकाय निर्वाचन 2018 हेतु दिनांक: 15.10.2018 से आचार संहिता लगने के कारण अनुबंध गठित नही हो पाये है। क्रमांक सं॰ 3, 4, 5 से संबन्धित अनुबंध गठित कर लिए गए है तथा क्रमांक 1 से संबन्धित अनुबंध नामिक को जोड़ने हेतु मार्ग का प्रारंभिक भाग का

निर्माण न होने के कारण गठित नही किया गया तथा क्रमांक 2 से संबन्धित प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय मे विचारधीन होने के कारण गठित नही किया जा सका है।

लेखापरीक्षा को उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि उक्त सभी कार्यो की ई- निविदा माह 07/2018 से पूर्व ही खोली जा चुकी थी तथा आचार संहिता से पूर्व अनुबंध गठित करने हेतु पर्याप्त समय होने के बावजूद अनुबंध गठित नही किए गये। जो कार्यालय की कार्यो के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। साथ ही क्रमांक 3, 4, 5 से संबन्धित अनुबंध गठित करने सम्बन्धी कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराया गया है। साथ ही क्रमांक 1 से संबन्धित कार्य का प्रारम्भिक भाग का निर्माण पूर्ण न होने के पूर्व ही निविदा आमंत्रण करना एवं उक्त क्रमांक 2 मे कार्यालय द्वारा M/S Laxmi Datt Binwani की तकनीकी बिड़ गलत तरीके से निरस्त करना, जो बाद में खोले जाने पर योग्य पायी गयी कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियो की कार्य के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है। जिसके कारण प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय मे विचारधीन है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 3:- शक्तियों / अधिकारों का दुरुपयोग करने से ठेकेदार को लाभ एवं सरकार को रु० 12,99,870/- की हानि।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़ के समय-वृद्धि से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान राज्य योजना के अंतर्गत काटेगाँव में साईखोला सेरीकाण्डा होते हुये विनायक मेल्टी तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य निष्पादन हेतु गठित अनुबंध संख्या 11/SE-III दिनाक 14/12/2015 के समय-वृद्धि प्रकरण का अवलोकन करने पर निम्न बिन्दू प्रकाश में आये :

1. कार्य की अनुमानित लागत रु० 1,63,11,496/- एवं अनुबंधित लागत रु० 1,36,82,840/- थी।
2. कार्य प्रारम्भ करने के तिथि दिनाँक 14/12/2015 एवं कार्य पूर्ण करने की अनुबंधित तिथि 13/06/2017 (18 माह) थी।
3. ठेकेदार द्वारा कार्य अनुबंधित तिथि तक पूरा न करने पर अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति पर मुख्य अभियन्ता द्वारा ठेकेदार को दिनाँक 13/12/2017 तक की समय वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई थी परन्तु ठेकेदार द्वारा स्वीकृत समय-वृद्धि के अंतर्गत भी कार्य पूरा नहीं किया गया। दिनाँक 19/12/2017 को ज़िला विकास प्रबन्धक पिथौरागढ़ द्वारा कार्य का निरीक्षण किये जाने के उपरान्त कार्य की गति अत्यधिक धीमी होने के कारण मौखिक निर्देश दिये गये कि दिनाँक 15/03/2018 तक कार्य पूर्ण कराया जाये जिस की सूचना ठेकेदार को पत्रांक 80/बी एफ दिनाँक 20/12/2017 द्वारा दी गई थी।
4. दिनाँक 28/03/2018 को सहायक अभियन्ता (तृतीय) प्रा० खण्ड लो०नि०वि० पिथौरागढ़ के पत्रांक 39/बी० एफ० द्वारा ठेकेदार को अवगत कराया गया की कार्य धीमी गति से किया जा रहा है। कार्य की प्रगति न बढ़ाने की स्थिति में अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
5. ठेकेदार द्वारा स्वीकृत समय-वृद्धि तक कार्य पूर्ण न किये जाने एवं बार बार ठेकेदार को कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु सूचित किये जाने के बावजूद भी अधीक्षण अभियन्ता द्वारा उच्च अधिकारी की सहमति के बिना ही ठेकेदार को दिनाँक 18/06/2018 यानि कार्य पूर्ण करने की अनुबंधित तिथि के एक वर्ष से भी अधिक समय तक की समय वृद्धि की स्वीकृति मात्र 1.25% अर्थदण्ड के साथ प्रदान की (पत्रांक 675/754 सी -03/2018 दिनाँक 1/5/2018)। जबकि अनुबंध की शर्तो के अनुसार 9 माह तक की समय-वृद्धि (

50% of time schedule) next higher एवं 9 माह से अधिक समय-वृद्धि **(Above 50% of time schedule)** Next to Next higher authority द्वारा स्वीकृत कराने का प्रावधान था *(As per GPW9, clause-7 the case of the extension of the time beyond the time schedule as per milestone shall be submitted to the authority next higher to the officer accepting the contract on behalf of the Government provided that the extension of time should be limited to 50% of the total period of that particular mile stone. In case this period exceeds more than 50%, it shall be submitted to next to next higher to the officer accepting the contract as the case may be .provided always that if the contractor continues to perform the work obtaining approval for extension as aforesaid the right of the Government to claim compensation under clause 5 shall not be deemed to have been waived.) & (As per GPW9, clause-4.5 if the whole work up to the fourth milestone is not completed within the scheduled or rescheduled time, all the withheld amount of 10% shall be recovered from the contractor from any money due to him by the Government under this contract or any other account what so ever. Otherwise the same will be recovered as an arrear of land revenue through collector.)*

6. पुनः उच्च अधिकारी की सहमति के बिना ही अधीक्षण अभियंता द्वारा ठेकेदार को समय-वृद्धि की स्वीकृति 0.50% अर्थदण्ड के साथ दिनाँक 17/10/2018 तक प्रदान की जो पूर्व में लगाये गये अर्थदण्ड 1.25% से कम था (पत्रांक - 5599/23 सी-3/2018 दिनाँक - 03.07.2018)।

उक्त की ओर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि कार्यस्थल पर स्थानीय जनता द्वारा किये गये विरोध के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही जिस के कारण अर्थदण्ड निम्नानुसार लगाया गया। उच्च अधिकारी से समय-वृद्धि स्वीकृत न कराने के संबंध मे बताया गया कि next higher को नहीं भेजा गया है। अर्थदण्ड 1.25% से 0.50% घटाने के संबंध में अवगत कराया गया कि समय-वृद्धि में से जो अधिक है वही ठेकेदार के देयक से वसूला जायेगा। एक वर्ष विलम्ब हेतु 1.25% अर्थदण्ड लगाया गया तथा पुनः दो माह के विलम्ब के कारण 0.50% अतिरिक्त अर्थदण्ड लगाया गया, इस प्रकार इस अनुबंध में 1.25+0.50=1.75%

का अर्थदण्ड लगाया गया है। GPW 9 के प्रावधानों के अनुसार उच्च अधिकारी से समय-वृद्धि स्वीकृत न कराने एवं 10% अर्थदण्ड के सापेक्ष मात्र 0.50% का अर्थदण्ड लगाने से सरकार को {अनुबंधित लागत का 10% (-) अनुमानित लागत का 0.50%} = रु० **12,99,870/-** कि हानि होने के संबंध मे बताया गया कि कार्यस्थल पर कार्य के दौरान आयी बाधाओं को ध्यान में रखते हुये सक्षम अधिकारी द्वारा अर्थदण्ड के साथ समय-वृद्धि स्वीकृत की गयी है।

कार्यालय का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि कार्यस्थल पर यदि स्थानीय जनता के विरोध के कारण कार्य में विलम्ब हुआ होता तो कार्यालय द्वारा न तो ठेकेदार के विरुद्ध अर्थदण्ड लगाया गया होता और न ही ठेकेदार को बार बार कार्य की प्रगति न बढ़ाने पर ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करने की चेतावनी दी गयी होती। अर्थदण्ड के संबंध में कार्यालय द्वारा दिया गया उत्तर अपनेआप में ही विरोधाभास है क्योंकि एक तरफ यह बताया गया कि अर्थदण्ड 1.25% एवं 0.50% में से जो भी अधिक होगा वही ठेकेदार के देयक से वसूला जाएगा और दूसरी तरफ यह बताया गया कि ठेकेदार पर 1.25%+0.50%=1.75% का अर्थदण्ड लगाया गया है जबकि अनुबंध की शर्तो के अनुसार समय-वृद्धि की स्वीकृति का प्रकरण Next to next higher authority को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना था। इस से यह स्पष्ट होता है कि कार्यालय द्वारा ठेकेदार को लाभ पुहचाने हेतु न तो समय-वृद्धि प्रकरण सक्षम अधिकारी के संज्ञान में लाया गया और न ही उचित अर्थदण्ड (10%) ठेकेदार के विरुद्ध लगाया गया जिस के कारण सरकार को रु० **12,99,870/-** की हानि हुयी है।

अतः अधीक्षण अभियंता द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुये समय-वृद्धि प्रकरण सक्षम अधिकारी के संज्ञान में लाये बिना ही स्वीकृत कर ठेकेदार को लाभ पुहचाने से सरकार को रु० **12,99,870/-** की हानि होने के प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग -III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'
1.	AIR-15/2014-15	-	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनो के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या मुख्य अभियंता अल्मोड़ा को प्रेषित की गयी है।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------ शून्य -----

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) माह - 12/2015 तथा 08/2016 के Pay Roll & Vouchers

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री जी सी आर्य	अधीक्षण अभि.	01/06/2014 से 06/08/2014
2.	श्री मदन सिंह हयाङ्की	अधीक्षण अभ	06/08/2014 से 07/10/2014
3.	श्री जी सी आर्य	अधीक्षण अभि	07/10/2014 से 18/02/2015
4.	श्री चन्द्र पाल सिंह	अधीक्षण अभि	18/02/2015 से 19/12/2015
5.	श्री सी एस भट्ट	अधीक्षण अभि	19/12/2015 से 07/01/2016
6.	श्री चन्द्र पाल सिंह	अधीक्षण अभि	07/01/2016 से 20/09/2016
7.	श्री डी एस हयाङ्की	अधीक्षण अभि	21/09/2016 से 09/11/2016
8.	श्री योगेश लाल शैल	अधीक्षण अभि	09/11/2016 से 05/07/2018
9.	श्री हरीश पांगती	अधीक्षण अभि	05/07/2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II